(14)

समक्ष: न्यायालय श्रीमान प्रीजास्वीन महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म॰प्र॰

अपील प्र॰क्र॰ अपील -3435 - I -16

रामशरण आत्मज बच्चू कोल,
निवासी ग्राम धंपई तहसील व जिला कटनी म॰प्र॰

---- अपीलार्थी

-बनाम-

मध्यप्रदेश शासन
§ द्वारा प॰ह॰नं॰ 44 रा॰ नि॰ मं॰ पहाडी,
तहसील व जिला कटनी §

---- प्रत्यर्थी गण

देवेन्द्र दुबे एड॰
श्री देवेन्द्र दुबे अधिवक्ता द्वारा फ़ैक्स ग्वालियर पर प्रस्तुत।
28.9.16

अपील अंतर्गत धारा 44 §2§ म॰प्र॰भू-राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी सविनय निवेदन करता है -

यह अपील माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी जिला कटनी के रा॰प्र॰क्र॰ 96/ बी 121/13-14 के आदेश दिनांक 5.6.2014 के आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील माननीय कमिश्नर महोदय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिस परकमिश्नर महोदय द्वारा प्र॰क्र॰865/बी-121/13-14 दर्ज कर दिनांक 11.8.2016 को आलोच्य आदेश पारित किया है जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न तथ्यो एवं आधारो पर द्वितीय अपील प्रस्तुत करता है -

अपील के तथ्य

1. यह कि अपीलार्थी ग्राम इमलिया प॰ह॰नं॰ 44 रा॰ नि॰मं॰ पहाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 720 रकबा 1.01 है॰ भूमि का काबिज मालिक स्वामी है जिसे अपीलार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.3.09 के माध्यम से विक्रेता धीरज आत्मज सुम्मा कोल से क्रय किया है ।

(3)

2. यह कि अधी॰ न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी द्वारा मिशिल बंदोबस्त 1987 से सूची प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि से अपीलार्थी का नाम हटाकर म॰प्र॰

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील 3435-एक/16 जिला - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/05/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 865/बी-121/13-14 में पारित आदेश दिनांक 11-8-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम इमलिया व0ह0नं0 44 रा0नि0मं0 पहाड़ी तहसील व जिला कटनी के पटवारी द्वारा मिसल बंदोवस्त 1987-88 की प्रति के साथ शासकीय पट्टेदारों की सूची पेश की । उक्त सूची के आधार पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर अपीलार्थी द्वारा दिया गया तदुपरांत अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 8-6-14 द्वारा संहिता की धारा 165(7-ख) का उल्लंघन मानते हुए प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज किए जाने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपर कलेक्टर कटनी के प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 (पट्टेदार) प्रकरण में उपस्थित नहीं हुआ है। उसके नाती द्वारा सूचना प्राप्त किया गया । प्रकरण में लिखा गया है कि जो कि अपील नोटिस	

XXIX(a)-BR

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

की सम्यक तामीली नहीं मानी जा सकती है तथा अनावेदक की उपस्थिति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई प्रयास न कर विधि प्रक्रिया का पालन किए वगैर आदेश पारित नहीं किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समर्थन में तथा अपीलार्थीगण को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हेतु किसी को भी साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया जो विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और न्याय की मंशा के विपरीत मनमाने तरीके से प्रकरण में कार्यवाही की गई है जिससे अनावेदक एवं आवेदक किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जिससे संपूर्ण न्याय प्रक्रिया दूषित हो गई है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि खसरा नं. 720 पुराना खसरा नं. 18/3, 89/6, 90/4 से मिलकर बना है जो कि खसरा नं. 18/3, 1958-59 से 1979-80 तक फतैंया खुल्ला वल्द सतैंया के नाम भूमि स्वामी हक में दर्ज थी ततपश्चात 1984-85 से दयाराम वल्द फतैंया, खल्ला वल्द सतैंया के नाम पर खसरा पांचसाला में दर्ज थी, खसरा नं. 89 के बटांक 89/4, मखुआ वल्द बुधई के नाम वर्ष 1959-60 में दर्ज थी। तथा अन्य बटांक भी भूमि स्वामी हक में दर्ज रहे हैं। इसी प्रकार खसरा नं. 19/4, 1959-60 में शामिल खसरा नं. 85/1 की भूमि स्वामी बाबूलाल वल्द दादूराम के एवं अन्य के नाम दर्ज रहा है, वर्ष 1974-75 से खसरा नं. 90/4 अगनुआ वल्द बनमाली के नाम भूमि स्वामी हक में 1984-85 तक दर्ज रहा है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि खसरा नं. 720 के सभी पुराने खसरा नं. निजी भूमि से संबंधित हैं, खसरा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील 3435-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नं. 720 निजी खसरा नंबरों से मिलकर बनाया गया है तब उसक शासकीय पट्टे की भूमि होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 से प्रभावशील है और इस संहिता की धारा 165/7 (ख) भी 1959 से प्रभावशील है किंतु वादग्रस्त भूमि संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से निजी भूमि है तब से शासकीय पट्टे की भूमि कैसे कहा जा सकता है, जिसका ध्यान न देकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है।	
	4/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण पटवारी द्वारा मिसल बंदोवस्त 1987-88 की प्रति के साथ प्रस्तुत शासकीय पट्टेदारों की सूची के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा दर्ज किया गया है । पटवारी द्वारा उक्त सूची क्यों और किस सक्षम अधिकारी के आदेश से पेश की गई इसका कोई उल्लेख ना तो आदेश में है और ना ही अभिलेख में । अपीलार्थी को भूमि कब पट्टे पर प्रदान की गई थी इसका भी कोई दस्तावेज या प्रमाण अभिलेख में नहीं है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं होते हैं । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव जिसमें यह लेख किया गया है कि उसके द्वारा भूमि कंधी आत्मज भद्दी जिसे शासकीय पट्टेदार बताया गया है, उसके क्रय	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक के हस्ताक्षर
	नहीं की गई है, बल्कि अन्य व्यक्ति हेतराम वल्द मनोहर कोल आदि से क्रय की गई है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की लिखित आपत्ति जिसके साथ विक्रयपत्र की फोटो प्रति भी संलग्न की गई थी के बाद भी अपर कलेक्टर द्वारा इस बिदुं की जांच नहीं की गई है कि तथाकथित मूल पट्टेदार द्वारा अपीलार्थी के विक्रेता को भूमि बेचते समय क्रय-विक्रय की अनुमति ली गई थी या नहीं । अत: इस प्रकरण में विचारण न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है । अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर इस प्रकरण में यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि वर्तमान खसरा नं0 720 पुराने खसरा नंबर 18/3, 89/6, 90/4 से मिलकर बना है जबकि खसरा नं0 18/3 वर्ष 1958-59 से 1979-80 तक फतैयां खुल्ला वल्द सतैंया के नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज था । 1984-85 से दयाराम वल्द फतैंया, खल्ला वल्द सतैंया के नाम पर खसरा पांचसाला में दर्ज थी, खसरा नं0 89/4 1959-60 में मखुआ वल्द बुधई के नाम 1959-60 में दर्ज तथा अन्य बटांक भी भूमिस्वामी हक में दर्ज रहे हैं । ऐसी स्थिति में जबकि पुराने खसरा नंबर निजी भूमि से संबंधित हैं, तब खसरा नं0 720 को शासकीय पट्टे की किस आधार पर माना गया है इसका कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक आयुक्त द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों पर विचार न करते हुए अपर कलेक्टर के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है, इस कारण उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील 3435-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाती है तथा आयुक्त एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । राजस्व अभिलेख तद्नुसार दुरस्त किया जाये। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	